संख्या- 137/2020/4089/71-1-2020-जी-214/2013

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 10 नवम्बर, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ के निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2470/71-1-2013-जी-214/2013, दिनॉक 20-12-2013 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा आकलित लागत रू0 5,45,21,22,000/- (रू0 पॉच अरब पैतालीस करोड़ इक्कीस लाख बाइस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। पुनः मूल लागत पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या'-69/2017/776/71-1-2017-जी-214/2013, दिनॉक 31-03-2017 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 64611.21 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गई। उक्त पुनरीक्षित लागत रू0 64611.21 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 47852.24 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	शासनादेश संख्या-2470/71-1-2013-जी-214/2013, दिनॉक 20-12-2013	1300.00
2	शासनादेश संख्या-1121/71-1-14-जी-214/2013, दिनॉक 25-03-2014	500.00
3	शासनादेश संख्या-1963/71-1-2014-जी-214/2013, दिनॉक 30-06-2014	2363.70
4	शासनादेश संख्या-11/2814/71-1-14-जी-214/2013, दिनॉक 26-09-2014	3666.90
5	शासनादेश संख्या-71/3110/71-1-2014-जी-214/2013, दिनॉक 29-12-2014	1060.50
6	शासनादेश संख्या-26/2015/267/71-1-2015-जी-214/ 2013, दिनॉक 26-02-2015	1500.00
7	शासनादेश संख्या-105/2015/901/71-1-2015-जी-214/2013, दिनॉक 30-04-2015	4727.40
8	शासनादेश संख्या-129/2015/970/71-1-2015-जी-214/2013, दिनॉक 27-07-2015	1272.60
9	शासनादेश संख्या-158/2015/1942/71-1-2015-जी-214/2013, दिनॉक 15-09-2015	4500.00
10	शासनादेश संख्या-1/2016/2539/71-1-2015-जी-214/2013, दिनॉक 01-01-2016	2757.65
11	शासनादेश संख्या-40/2016/333/71-1-2016-जी-214/2013, दिनॉक 15-03-2016	742.35
12	शासनादेश संख्या-97/2016/635/71-1-2016-जी-214/2013, दिनॉक 31-03-2016	1542.49
13	शासनादेश संख्या-118/2016/1190/71-1-2016-जी-214/2013, दिनॉक 11-05-2016	10773.45
14	शासनादेश संख्या-12/2018/111/71-1-2018-जी-214/2013, दिनॉक 31-01-2018	2100.00
15	शासनादेश संख्या-48/2018/1011/71-1-2018-जी-214/2013, दिनॉक 16-03-2018	1272.60
16	शासनादेश संख्या-196/2018/2062/71-1-2018-जी-214/2013, दिनॉक 04-07-2018	2000.00
17	शासनादेश संख्या-255/2018/4018/71-1-2018-जी-214/2013, दिनॉक 26-09-2018	1272.60
18	शासनादेश संख्या-46/2019/443/71-1-2019-जी-214/2013, दिनॉक 22-03-2019	500.00
19	शासनादेश संख्या-107/2019/6212/71-1-2019-जी-214/2013, दिनॉक 19-12-2019	4000.00
	योग	**47852.24**

2- आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2020-21/505, दिनॉक 05-11-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, बदायूँ के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 20,00,00,000/- (रू0 बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 एवं शासनादेश दिनॉक 07.04.2020 एवं 11.04.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक /प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 19-10-2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये।

11- शासनादेश संख्या-69/2017/776/71-1-17-जी-214/2013, दिनॉक 31-03-2020 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-48-राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनॉक 29 सितम्बर, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-137/2020/4089(1)/71-1-2010 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बदायूं।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बदायूं।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूं।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।